

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग**

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) कोर्ट केस (सु०परि०)-11/09

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री अर्जुन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर के विरुद्ध वर्ष-1988-89 में उनके पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए संकल्प ज्ञापांक- 3859 दिनांक- 13.12.2003 के द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में गठित प्रमुख आरोप निम्नवत थे-

(i) सुवर्णरेखा बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 49.53 से 52.27 कि०मी० तक नहर खुदाई के कार्य में संवेदक मेसर्स एस०एस० कलसी एण्ड सन्स से साठ-गांठ कर लगभग 10.00 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना, उन्हें नाजायज लाभ पहुँचाना तथा सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाना।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में जाँचोपरान्त निम्नलिखित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया -

(i) एक चालू एकरारनामा के आंशिक कार्यान्वयन के उपरांत विखंडित कर अवशेष कार्य दुसरे संवेदक को आवंटित करने के पूर्व प्रथम संवेदक के कार्यों की विधिवत मापी लिया जाना चाहिए था, जो नहीं लिया गया।

(ii) लेवल बुक में हुए कटिंग पर हस्ताक्षर नहीं करना एवं अभिलेखित मापी का टेस्ट चेक कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं किया जाना, मान्य प्रक्रिया लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 231 एवं आई०एस०आई० 200 के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया।

(iii) उच्चाधिकारियों के अनुवर्ती आदेश के उपरांत भी सिल्ट और पानी हटाकर शुद्ध मापी नहीं ली गई।

(iv) एल०बी०सी० एकरारनामा के सामान्य कार्यों शर्तों की कंडिका- 33 के अनुसार संवेदक को स्वयं संपादित कार्यों का मासिक चालू विपत्र देना है। आलोच्य एकरारनामा में संवेदक द्वारा विपत्र समर्पित किये जाने की सूचना नहीं है। विभाग की ओर से विपत्र तैयार कर भुगतान किया जाता रहा।

(vi) संवेदक मेसर्स एस० एस० कलसी एण्ड संस के द्वारा नहर के कि०मी० 49.53 से 52.27 कि०मी० के मध्य कराये गये खुदाई कार्य की मापी सं०-250 में तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित है। श्री कुमार सहायक अभियंता द्वारा उपरोक्त प्रभार लेने के पूर्व पाँच चालू विपत्रों का भुगतान हुआ था। संवेदक कलसी एण्ड संस को सात चालू विपत्रों का भुगतान श्री कुमार, तदेन सहायक अभियंता की सहभागिता से बाद में किया गया।

(vii) दोनों फर्मों के मालिक एक ही थे, जिसमें एक फर्म के कार्य को विखंडित कर उसी फर्म के मालिक को दुसरे फर्म के नाम पहले से उँचे दर पर कार्य आवंटित किया गया। यह कार्य स्वतः आपतिजनक एवं मिलीभगत का प्रतीक है।

(viii) कथित अतिरिक्त भुगतान रुपये 10.00 लाख के विरुद्ध संवेदक की प्रतिभूति जब्त कर रुपये 9,17,835.00 की वसूली कर ली गयी।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपनी जाँच में उपर्युक्त अनियमितता पाये जाने के बावजूद इस योजना में संवेदक को हुए अतिरिक्त भुगतान के संबंध में श्री कुमार, तदेन सहायक अभियंता को दोषी नहीं माना गया, परन्तु उसी कार्य हेतु पदस्थापित सहायक अभियंता को दोषी क्यों नहीं माना जा रहा, इसका ठोस आधार उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि कथित मिट्टी कार्य में संवेदक को अधिक राशि का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली संवेदक की प्रतिभूति राशि जब्त कर की गयी। मापी पुस्त में हस्ताक्षर एवं भुगतान की अनुशंसा श्री कुमार, सहायक अभियंता द्वारा भी किये जाने के कारण विभाग द्वारा जाँच पदाधिकारी के मंतव्य पर असहमति व्यक्त करते हुए श्री कुमार को आदेश सं० 704 दिनांक 14.03.08 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया –

- (i) सात वर्षों तक वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
- (ii) दिसम्बर 2010 तक उन्हें किसी भी प्रकार की प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति का लाभ देय नहीं होगा।

4. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के समक्ष याचिका संख्या **WP (S) NO – 2766/2009** दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 05.12.2012 को न्याय निर्णय पारित किया गया। पारित न्याय निर्णय का मुख्य अंश निम्नवत् है :—

“Consequently, this writ petition is allowed. Impugned order is quashed. However, respondent shall be at liberty to pass order afresh in accordance with law after issuing show-cause notice and after considering the explanation by the delinquent employee.”

परित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री कुमार से संबंधित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा दोषी नहीं प्रतिवेदित किये जाने तथा विभागीय समीक्षा में संवेदक को किये गये अधिकाई भुगतान में तत्संबंधित मापी पुस्त में हस्ताक्षर एवं भुगतान हेतु कृत अनुशंसा के मद्देनजर दोषी पाये जाने के स्थापित विभागीय मंतव्य के कारण विभागीय पत्रांक – 3833 दिनांक 15.07.2013 के द्वारा कारण पृच्छा पूछा गया। श्री कुमार द्वारा अपना जवाब दिनांक 10.08.2013 समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में नैसर्गिक न्याय को दृष्टि में रखकर विभाग द्वारा इनके पक्ष को सुनने का निर्णय लेते हुए प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग झारखण्ड के समक्ष दिनांक 29.05.2015 समय 3:00 बजे उपरांत दिनांक 08.07.2015 समय 11:00 बजे पूर्वाहन में सुनवाई की गयी। श्री कुमार द्वारा सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए लिखित व्यान दिनांक 08.07.15 को समर्पित किया गया। विचाराधीन मामले के निष्पादन के लिए पारित न्याय निर्णय के अनुपालन को दृष्टि में रखकर सेवानिवृत्त (दिनांक— 30.06.2009) श्री कुमार पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय पत्रांक—5808 दिनांक –26.11.2015 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 'बी' के तहत समपरिवर्तित किया गया।

5. श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं है एवं उनके द्वारा किसी तरह का नया साक्ष्य भी समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार का कृत्य कार्य के प्रति उदासीनता एवं संवेदक को नाजायज लाभ के उद्देश्य से किया गया है। अतएव श्री कुमार, सेवानिवृत्त , सहायक अभियंता को दोषी मानते हुए उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है –

- (i) पेंशन से 10% की कटौती सदा के लिए।
(6) उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
अतएव, एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के उप सचिव (नि०)

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड राँची/प्रशासक सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमोदपुर/मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह काम्प्लेक्स, आदित्यपुर/कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल जमशेदपुर/श्री अर्जुन कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, C/o डॉ०, एन कुमारी होल्डिंग न०-232N न्यू अलकापुरी (डिबडीह) हरमू बायपास, मेन रोड, पो०-डोरण्डा राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

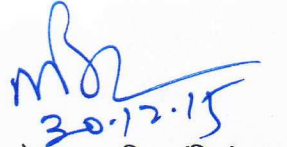
ह0/-

सरकार के उप सचिव (नि०)

ज्ञापांक - 6385

राँची, दिनांक - 30-12-15

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, जमशेदपुर/वेब, इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30-12-15

सरकार के उप सचिव (नि०)